न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0), सोनभद्र।

उपस्थित–श्री सन्त राम (एच0जे0एस0),

सत्र परीक्षण संख्या–142/2016,

राज्य **बनाम** बबलू मिश्रा उर्फ कृष्णकान्त मिश्रा वगैरह।
थाना–राबर्टसगंज, जिला सोनभद्र।

<u>आरोप</u>

मैं, सन्त राम, अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0, सोनभद्र आप अभियुक्तगण बबलू मिश्रा उर्फ कृष्णकान्त मिश्रा तथा अशोक पाण्डेय को निम्न लिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ।

प्रथम– यह कि दिनॉक 29.06.2016 को समय करीब 11:00 बजे रात्रि बहद स्थान ओमकार सिंह(जे0ई0) का मकान स्थित ग्राम बढ़ौली, अन्तर्गत थाना राबर्टसगंज, जिला सोनभद्र में आपलोगों ने वादी मुकदमा के साला सोनू राय को हाकी व डंडा से मार–पीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया था। इस प्रकार आपलोगों का यह कार्य अन्तर्गत धारा–323 भारतीय दंण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध है। जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनॉक, समय व स्थान पर आपलोगों ने लोक शान्ति भंग कराने हेतु प्रकोपित करने के आशय से वादी मुकदमा के साला सोनू राय को मॉ–बहन की भद्दी–भद्दी गाली देकर साशय अपमानित किया था। इस प्रकार आपलोगों का यह कार्य अन्तर्गत धारा–504 भारतीय दंण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध है। जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनॉक, समय व स्थान पर आपलोगों ने आपराधिक अभित्रास करते हुये वादी मुकदमा के साला सोनू राय को जान से मारने की धमकी दिया था। इस प्रकार आपलोगों का यह कार्य अन्तर्गत धारा–506 भारतीय दंण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध है। जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ– यह कि उपरोक्त दिनॉक, समय व स्थान पर आपलोगों ने सदोष परिरोध करते हुये वादी मुकदमा के साला सोनू राय को अपने घर ले जाकर घर के बरामदे में स्थित पीलर में रस्सी से बॉध दिया था। इस प्रकार आपलोगों का यह कार्य अन्तर्गत धारा–342 भारतीय दंण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध है। जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

....2

पंचम– यह कि उपरोक्त दिनॉक, समय व स्थान पर आपलोगों ने वादी मुकदमा के साला सोनू राय पर हमला व उपहति कारित करने के आशय से सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् वादी मुकदमा के घर घुस कर गृह अतिचार करते हुये उसे मार–पीट कर उपहति कारित किया था। इस प्रकार आपलोगों का यह कार्य अन्तर्गत धारा –452 भारतीय दंण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध है। जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

षष्टम– यह कि उपरोक्त दिनॉक, समय व स्थान पर आपलोगों ने ऐसे आशय व ज्ञान से वादी मुकदमा के साला सोनू राय के सिर में हाकी व डंडा से मार कर आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न किया था। आपलोगों के उक्त कार्य से यदि सोनू राय की मृत्यु कारित हो जाती तो आपलोग हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते। इस प्रकार आपलोगों का यह कार्य अन्तर्गत धारा–308 भारतीय दंण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध है। जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपलोगों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों के तहत आपलोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक–23.08.2017

(सन्त राम)
अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0),
सोनभद्र।

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़ कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और परीक्षण की मॉग की।

दिनॉक–23.08.2017

(सन्त राम)
अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0),
सोनभद्र।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0), सोनभद्र।

उपस्थित–श्री सन्त राम (एच0जे0एस0),

सत्र परीक्षण संख्या–142/2016,

राज्य **बनाम** बबलू मिश्रा उर्फ कृष्णकान्त मिश्रा वगैरह।
थाना–राबर्टसगंज, जिला सोनभद्र।

<u>आदेश</u>

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को आरोप के स्तर पर सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का भली–भॉति अवलोकन किया गया। अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से अभियुक्तगण बबलू मिश्रा उर्फ कृष्णकान्त मिश्रा तथा अशोक पाण्डेय के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–323, 504, 506, 342, 452, 308 भारतीय दंण्ड संहिता के तहत विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार पाया जाता है। तद्नुसार उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में आरोप विरचित किया जाता है। अभियोजन पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे अपना साक्ष्य दिनॉक 04.09.2017 को प्रस्तुत करें।

दिनॉक–23.08.2017

(सन्त राम)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0),
सोनभद्र।